


कार्यालय आदेश

घारदियारी (परकोटा) के संरक्षण हेतु उद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आदि की मौका अनुसार जाँच करवाके अध्यक्ष द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार परकोटा दिवार के साथ मौसमी फुलवारी का लैण्डसकेप बफर रखते हुए नियमानुसार उक्त निविदा के जी-शिड्यूल एवं बिड डोक्यूमेन्ट की शर्तों की जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है।


1. अतिरिक्त आयुक्त
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
3. मुख्य नगर नियोजक
4. उपायुक्त (हैरिटेज)
5. अधिशाषी अभियन्ता (मु०)


(अवघेश मीना)
आई.ए.एस.

आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. उपायुक्त (हैरिटेज), नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. अधिशाषी अभियन्ता (मु०), नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
5. मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
6. रक्षित पत्रावली।


आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज